झारखंड उच्च न्यायालय   रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. 702/2011

राम शंकर सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह.

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. गिरजेश कुमार

विरोधी पक्ष

के साथ

आपराधिक विविध याचिका सं. 918/2011

देव नारायण रंजू उर्फ डी.एन. रंजू

याचिकाकर्ता

1. झारखंड राज्य

2. गिरजेश कुमार

विरोधी पक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता (आ.वि.या.-702/11 में)
श्री अमित कुमार, अधिवक्ता
श्रीमती जसविन्दर मजूमदार, अधिवक्ता (आ.वि.या.-918/11 में)

राज्य के लिएः श्री विश्वनाथ राय, वरि. लोक अभि. (आ.वि.या.-702/11 में)

श्री विश्वंभर शास्त्री, सहा. लोक अभि. (आ.वि.या.-918/11 में)
विरोधी पक्ष सं. 2 के लिएः श्री दिलीप कुमार प्रसाद, अधिवक्ता (दोनों मामलों में)
श्री नीलाद्रि शेखर मुखर्जी, अधिवक्ता

18/06.12.2023 दोनों मामलों में, तथ्यों और कानूनों का सामान्य प्रश्न शामिल है और उसी के मद्देनजर दोनों पक्षों की सहमति से दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है।

2. श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता, आपराधिक विविध याचिका संख्या 702/2011 में और श्रीमती जसविंदर मजूमदार, याचिका कर्ता के लिए अधिवक्ता, आपराधिक विविध याचिका संख्या 918/2011 में, श्री विश्वनाथ रॉय, राज्य के लिए अधिवक्ता, आपराधिक विविध याचिका संख्या 702/2011 में और श्री बिश्वंभार शास्त्री, राज्य के लिए अधिवक्ता, आपराधिक विविध याचिका संख्या 918/2011 में और श्री दिलीप कुमार प्रसाद, दोनों मामलों में विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता को सुना गया।

3. ये याचिकाएँ सीपी संख्या 1559/2010 से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई हैं, जिसमें 25.03.2011 की तारीख को संज्ञान लेने का आदेश शामिल है, जिसके तहत माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 167 और 193 के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है, जो माननीय एसडीजेएम, धनबाद की अदालत में लंबित है।

4. शिकायत मामले में आरोप लगाया गया है कि याचिका कर्ता आपराधिक विविध याचिका संख्या 702/2011 में, जो धनबाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी थे, ने झारखंड पुलिस मैनुअल नियम 116 का उल्लंघन करते हुए गलत स्टेशन डायरी प्रविष्टि बनाई है, जो उनके कैप्टन शित्तल उरांव की सहायता के लिए बनाई गई थी। उन्होंने आरोपी संख्या 2-देव नारायण रंजू उर्फ डी.एन. रंजू (याचिका कर्ता आपराधिक विविध याचिका संख्या 918/2011 में) के साथ साजिश की थी। शिकायतकर्ता ने उनके गलत कार्य की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दी थी और गलत स्टेशन डायरी प्रविष्टि के आधार पर शिकायतकर्ता को दोषी ठहराया गया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया। आगे आरोप लगाया गया कि याचिका कर्ता आपराधिक विविध याचिका संख्या 702/2011 ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त स्टेशन डायरी प्रविष्टि बनाई। यह भी आरोप लगाया

गया कि स्टेशन डायरी की प्रविष्टि संख्या में परिवर्तन किया गया है। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य शिकायतकर्ता को नुकसान पहुँचाना था।

5. श्री राजेश कुमार, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता आपराधिक विविध याचिका संख्या 702/2011 में प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता- राम शंकर सिंह उर्फ रामाशंकर सिंह संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी थे। श्रीमती जसविंदर मजूमदार, याचिका कर्ता के लिए अधिवक्ता आपराधिक विविध याचिका संख्या 918/2011 में प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता- देव नारायण रंजू उर्फ डी.एन. रंजू उप पुलिस अधीक्षक थे और उन्हें धनबाद में नियुक्त किया गया था। वे प्रस्तुत करते हैं कि घटना की कथित तारीख 18.03.2008 है, जबकि वर्तमान शिकायत मामला 26.08.2010 को दायर किया गया था। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि शिकायत पत्र में यह झूठा आरोप लगाया गया है कि राम शंकर सिंह उर्फ रामाशंकर सिंह द्वारा स्टेशन डायरी में गलत प्रविष्टि की गई थी। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया था और उक्त विभागीय कार्यवाही को प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने इस न्यायालय में रिट याचिका में चुनौती दी थी जिसे खारिज कर दिया गया। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी समय उक्त प्रविष्टि को विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा किसी सक्षम न्यायालय या विभागीय कार्यवाही में चुनौती नहीं दी गई। श्रीमती जसविंदर मजूमदार, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता आगे एक बिंदु जोड़ती हैं कि याचिकाकर्ता- देव नारायण रंजू उर्फ डी.एन. रंजू एकमात्र जांच अधिकारी थे और उन्हें अपनी रिपोर्ट दी गई थी और इसी कारण से उक्त जांच अधिकारी को वर्तमान शिकायत मामले में आरोपी बनाया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता अपनी आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और इस दृष्टिकोण से वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षित हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि जानबूझकर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दायर किया गया है।

6. इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध श्री दिलीप कुमार प्रसाद, विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है, यह कहते हुए कि स्टेशन डायरी में गलत प्रविष्टि के आधार पर विरोधी पक्ष संख्या 2 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कहा गया। वे प्रस्तुत करते हैं कि देरी संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती। इस तर्क को मजबूत करने के लिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, मुंबई और अन्य बनाम एल.आर. मेलवानी और**

अन्य" मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जो **एआईआर 1970 एससी 962** में रिपोर्ट किया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उक्त कार्य आधिकारिक कर्तव्य के संबंध में नहीं किया गया है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लागू नहीं होती। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**चौधरी परवीन सुल्ताना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य**" मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जो **(2009) 2 एससीसी (आपराधिक) 122** में रिपोर्ट किया गया है।

7. श्री विश्वनाथ रॉय और श्री बिश्वंभार शास्त्री, राज्य के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि माननीय न्यायालय ने तथ्यों के दृष्टिगत सही तरीके से संज्ञान लिया है।

8. न्यायालय ने शिकायत पत्र की सामग्री को देखा है। आरोप लगाया गया है कि स्टेशन डायरी में गलत प्रविष्टि की गई थी। घटना की तारीख 18.03.2008 बताई गई है, जबकि शिकायत मामला 26.08.2010 को दायर किया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि स्टेशन डायरी में उक्त प्रविष्टि को विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा किसी सक्षम प्राधिकरण या किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई थी।

9. इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा विभागीय कार्यवाही के संबंध में दायर की गई रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, हालाँकि, यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए विचार के लिए वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय ने फिर से रिट याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद वर्तमान शिकायत मामला दायर किया गया। फिर से विरोधी पक्ष संख्या 2 ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है, जो अभी भी लंबित है, जैसा कि पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

10. उक्त स्टेशन डायरी प्रविष्टि विरोधी पक्ष संख्या 2 को 14.04.2008 को मेमो संख्या 1018 के साथ प्रदान की गई, जिसे विरोधी पक्ष संख्या 2 ने सही तरीके से प्राप्त किया और इसके बावजूद, उसने इसे चुनौती नहीं दी और इसके बाद शिकायत मामला दायर किया गया।

11. यह खुलासा हुआ है कि शिकायत मामला संख्या 547/2008 पहले विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ समान आरोपों के साथ दायर किया गया

था, जिसे माननीय निचली अदालत ने 10.08.2009 की तारीख के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

12. आगे, याचिकाकर्ता- देव नारायण रंजू उर्फ डी.एन. रंजू केवल जांच अधिकारी थे और विभागीय कार्यवाही में उन्होंने जांच प्रक्रिया में अपनी राय दी है और याचिकाकर्ता- राम शंकर सिंह उर्फ रामाशंकर सिंह संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी थे। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अपनी आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और यदि वे आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सुरक्षित हैं।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई कार्य आधिकारिक क्षमता में नहीं किया गया है, तो धारा 197 आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती, हालाँकि, यदि कार्य आधिकारिक क्षमता में किया गया है, तो धारा 197 आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्य यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**इंद्रा देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**" मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जो **(2021) 8 एससीसी 768** में रिपोर्ट किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा 10 को यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:

> *"10. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। धारा 197 आपराधिक प्रक्रिया संहिता एक अधिकारी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करती है, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या उनके निर्वहन का प्रयास करते समय किए गए अपराध का आरोपी है और इस प्रकार, ऐसे अपराध के लिए न्यायालय को संज्ञान लेने से रोकती है, सिवाय इसके कि सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो। सार्वजनिक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या निराधार अभियोजन से बचाने के लिए एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है। साथ ही, यह ढाल भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकती और प्रावधानों को इस प्रकार व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि यह ईमानदारी, न्याय और अच्छे शासन के कारण को आगे बढ़ाए। (देखें: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह [सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह, (2012) 3 एससीसी 64 : (2012) 1 एससीसी (आपराधिक) 1041 : (2012) 2 एससीसी (एल एवं एस) 666]) अधिकारियों की धोखाधड़ी, रिकॉर्ड का निर्माण या धन की गबन में कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता। हालाँकि, यदि*

सार्वजनिक सेवक के खिलाफ आरोपित अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान या उसके निर्वहन का प्रयास करते समय" किया गया है, तो ऐसी अनुमति आवश्यक है और यह पता लगाने के लिए कि क्या आरोपित अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान या उसके निर्वहन का प्रयास करते समय" किया गया है, मानदंड यह होगा कि यह देखा जाए कि जिस कार्य की कमी के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है, उसका उसके कर्तव्यों के निर्वहन से कोई उचित संबंध है या नहीं। (देखें: महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुभराओ [महाराष्ट्र राज्य बनाम बुद्धिकोटा सुभराओ, (1993) 3 एससीसी *339 : 1993* एससीसी *(आपराधिक) 901]) इसलिए असली प्रश्न यह है कि क्या किया गया कार्य सीधे आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है।"*

14. आगे यदि कोई शिकायत मामला प्रतिशोध के तहत दायर किया जा रहा है, तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ एक मामला बनाया जाए और यदि ऐसी स्थिति है, तो उच्च न्यायालय पर जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है और न्यायालय को चीजों को ध्यान से देखना आवश्यक है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **"हाजी इकबाल** उर्फ **बाला बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य"** मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है, जो **2023 एससीसी ऑनलाईन एससी 946** में रिपोर्ट किया गया है।

15. श्री दिलीप कुमार प्रसाद, विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय में "*चौधरी परवीन सुल्ताना*" (*उपर्युक्त*) मामले में आरोप था कि शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस लेने की धमकी दी और इसी कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उस मामले में धारा 197 आपराधिक प्रक्रिया संहिता का प्रावधान लागू नहीं हुआ। उस मामले के तथ्य भिन्न थे और इसलिए, वह निर्णय विरोधी पक्ष संख्या 2 की सहायता नहीं कर रहा है।

16. श्री दिलीप कुमार प्रसाद, विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए अधिवक्ता द्वारा संदर्भित "*द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, मुंबई*" *(उपर्युक्त)* मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक सक्षम न्यायालय के समक्ष पूर्व वैध परीक्षण में, उस मामले के याचिकाकर्ता ने बरी होने का निर्णय प्राप्त किया है जो उसके अभियोजक पर बाध्यकारी है। उस मामले में, कारण यह था कि सीमा शुल्क कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही एक

आपराधिक परीक्षण थी और पूर्व मामला नागरिक विवाद से उत्पन्न हुआ था और इसी कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचा। वर्तमान मामले के तथ्य भिन्न हैं और इसलिए, वह निर्णय भी प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 की सहायता नहीं कर रहा है।

17. ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दायर किया गया है और माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 167 और 193 के तहत संज्ञान लिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 193 किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी चरण में साक्ष्य के लिए होती है। किसी व्यक्ति द्वारा झूठे साक्ष्य का निर्माण करना, यानी कि यह मामला हाथ में नहीं है और भारतीय दंड संहिता की धारा 193 स्वयं लागू नहीं होती। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 167 भी लागू नहीं होती।

18. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण को देखते हुए, सीपी संख्या 1559/2010 से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जिसमें 25.03.2011 की तारीख को संज्ञान लेने का आदेश शामिल है, जो माननीय **एसडीजेएम, धनबाद** की अदालत में लंबित है, को रद्द किया जाता है।

19. तदनुसार, ये याचिकाएँ स्वीकृत की जाती हैं और निपटाई जाती हैं।

20. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, निपटाई जाती है।

(**न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी**)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|